प्रकीर्ण आदेश संख्या- 264 दिनांकः 30/4/25

उ0प्र0 नगरीय परिसर किरायेदारी विनियमन अधिनियम, 2021 की धारा 32 एवं तद्विषयक माननीय उच्च न्यायालय पत्र संख्या 5173 दिनांकित 17.04.2023 का अवलोकन किया गया।

उक्त अधिनियम के प्रस्तर 32 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुरूप जनपद हरदोई में अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा श्रीमती कुसुम लता, अपर जिला जज, हरदोई को किराया अधिकरण का पीठासीन अधिकारी नामित किया जाता है।

इस आदेश की एक प्रति जिलाधिकारी, हरदोई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे।

इस आदेश की एक प्रति सम्मानित अध्यक्ष/मंत्री, अधिवक्ता संघ, हरदोई को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जावे कि वे इस आदेश का अधिवक्ता संघ, हरदोई के समस्त सम्मानित सदस्यों के मध्य परिचालन करवाने का कष्ट करें।

इस आदेश की एक प्रति नोडल अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग, जनपद न्यायालय, हरदोई को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाती है कि वे इस आदेश को जनपद न्यायालय, हरदोई के वेब-साइट पर अपलोड करवाना सुनिश्चित करें।

समस्त संबंधित तदनुसार सूचित हों।

(संजीव शुक्ला)
जिला जज,
हरदोई।

प्रकीर्ण आदेश संख्या 264 ए/ दिनांकितः

प्रतिलिपि निम्नांकित को ...oic computer.....

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

30-04-25

सी.ए.ओ.